न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारीः— डॉ. प्रतिभा सिंह,आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :—94 / 2023

अपीलाण्ट :— बनाम रेस्पोडेन्ट :—

अपीलाण्ट :—

1. भूण्डाराम पुत्र मोहनलाल प्रजापत निवासी— ग्राम खुंटालिया, तहसील बिलाड़ा, जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट :—

1. पन्नाराम पुत्र दुर्गाराम
2. गोमाराम पुत्र दुर्गाराम निवासी— ग्राम—सांभरा तहसील पचपदरा
3. ग्राम पंचायत सांभरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सांभरा।
4. राज. राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा, जिला—बालोतरा।
5. हमीदा बानो पत्नी श्री गुलाम रसूल जाति घोसी, निवासी— बालोतरा।
6. सलीम खॉ वल्द सुआ खॉ जाति घोसी, निवासी—बालोतरा।
7. केसाराम पुत्र बालकराम भील,
8. मदनलाल पुत्र केसाराम भील,
9. बागाराम पुत्र केसाराम भील,
10. श्रीमती दलू देवी पत्नी रतनाराम
11. सदाराम पुत्र गोबरराम भील
12. श्रीमती गीतादेवी पत्नी सांवलराम सभी जाति—भील निवासी—ग्राम सांभरा, पचपदरा।
13. राजूराम पुत्र चीमाराम भील, निवासी—बालोतरा।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा राजस्व विविध पत्र संख्या 189 / 2021 अनवान पन्नाराम बनाम हमीरा वगैराह में दिनांक 04.01.2022 को पारित किया गया

उपस्थिति :—

1. श्री बरकत खान मेहर, अधिवक्ता, अपीलाण्ट की ओर से।
2. श्री हरिसिंह कच्छावा, अवतार सिंह, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।
3. श्री मोहनलाल, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से।
4. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से।
5. शेष रेस्पोडेन्ट्स बावजूद तामीली के अनुपस्थित है।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

निर्णय

दिनांकः 09 जुलाई,2025

1. अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के समक्ष धारा 131 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत दिनांक 20.11.2020 को एक प्रार्थना पत्र पेश करते हुए यह कथन किया गया कि कृषि भूमि ख0सं0 129 ग्राम सांभरा तहसील पचपदरा में स्थित है। उक्त खसरे की तरमीम की गई जिसके अनुसार ख0सं0 238/129, 232/129, 237/129, 234/129, 241/129, 235/129, 236/129, 233/129, 242/129, 239/129, 304/129, 245/129 कुल 12 भागों में बांट दिया गया। उक्त तरमीम के सम्बन्ध में प्रार्थी के द्वारा आपत्ति पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 4.1.2022 को स्वीकार करते हुए पूर्व में की गई तरमीम को दुरूस्त करने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के उक्त आदेश दिनांक 4.1.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.08.2022 को पेश की गई है।

2. पक्षकारान के अधिवक्तागण उपस्थित है। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने सुनवाई अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.8.2022 के अनुसार यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट को पक्षकार संस्थित नहीं किया गया था, ऐसे में अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.8.2022 की जानकारी उस समय नहीं हो पाई। दिनांक 18.7.2022 को विश्वस्त सूत्रों से इस प्रकार की जानकारी होने पर दिनांक 20.7.2022 को अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की गई। तत्पश्चात दिनांक 2.8.2022 को कानूनी राय ली जाकर अपील तैयार करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष यह अपील पेश की गई है। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जावें। अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने बाबत रेस्पोडेन्टस् के विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा विरोध प्रकट किया गया। अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारान की बहस सुनने के उपरान्त न्यायहित में अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

3. दौराने सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा पेश की गई लिखित बहस एवं अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार कथन किया गया कि रेस्पो.सं0 1 व 2 के द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट को जानबूझ कर पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को यह जानकारी अवश्य थी कि उक्त भूमि के खातेदार प्रफोर्मा रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2 ने तरमीम शुदा ख0सं0 235/129 रकबा 20.00 बीघा भूमि में से 5.00 बीघा भूमि, अपीलान्ट को एक वर्ष पूर्व ही जरिये रजिस्टर्ड सेलडीड के बेचान करते हुए कब्जा अपीलान्ट को सुपुर्द कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रफोर्मा पक्षकार संख्या

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

2 को नोटिस तक नहीं दिया। इसके अतिरिक्त रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 20.11.2020 में प्रफोर्मा पक्षकार के जानबूझ कर पूरे पते नहीं लिखे गये है, केवल निवासी–बालोतरा अंकित कर दिया गया, उसमें वार्ड, मौहल्ला, रोड इत्यादि का कोई उल्लेख नहीं किया है। ऐसे में नोटिस तामिली होना सम्भव नहीं है। तामिली की कार्यवाही भी तामिल कुनिन्दा से मिलीभगत कर की गई है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा एकपक्षीय एवं विधि के विपरित प्रक्रिया अपनाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

4. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी अभिकथन किया कि पटवारी हल्का सांभरा व तहसीलदार पचपदरा को ख0सं0 129 के सम्पूर्ण नक्शा परिवर्तन की जानकारी दिनांक 28.5.2021 को होते हुए भी पटवारी हल्का ने रेस्पोडेन्ट सलीम के पक्ष में ख0सं0 235/129 का पुराना लट्ठा ट्रेस व जमाबन्दी की प्रति दिनांक 16.8.2021 को जारी की गई। तहसीलदार पचपदरा द्वारा नक्शा प्रतिलिपि के आधार पर प्रार्थी के बेचाननामें को दिनांक 17.8.2021 को पंजीकृत किया गया है। दिनांक 28.5.2021 तथा दिनांक 16.8.21 को जारी लट्ठा ट्रेस व जमाबन्दी तथा अपीलान्ट भूण्डाराम के पक्ष में हुई रजिस्ट्री के साथ पेश करते हुये अपीलान्ट के द्वारा उक्त बेचाननामें के आधार पर अपने पक्ष में नामा0 भरने हेतु पटवारी हल्का को निवेदन किया गया लेकिन पटवारी हल्का ने नामा0 नहीं भरा एवं न ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही की जानकारी पटवारी हल्का ने अपीलान्ट को प्रदान की, इस तरह अपीलान्ट को सुनवाई के अधिकार से वंचित कर दिया जबकि अपीलान्ट को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुनवाई का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।

5. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 9.9.2021 को मौका रिपोर्ट पेश हुई, मगर इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार को कोई आदेश नहीं दिया गया, यहॉ तक कि प्रफोर्मा पक्षकार या उनके अधिवक्ता भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और न ही उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण वर्ष 2020 में प्रस्तुत हुआ था, जबकि अपीलाधीन आदेश में दावा संख्या 189/2021 अंकित हो रखा है, जब वादग्रस्त भूमि की तरमीम दिनांक 28.5.2021 को हुई तो दावा वर्ष 20.11.2020 को कैसे पेश हो गया। दिनांक 20.11.2020 को जमीन की तरमीम हुई ही नहीं थी। ऐसे में सारी कार्यवाही दूषित रूप से की गई है। इसके अलावा अप्रार्थीगण यानि रेस्पो0 संख्या 3 व 4 व प्रफोर्मा पक्षकार संख्या 1 से 9 की विधि के अनुसार तामील पूर्ण करवाये बिना ही उनके विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया गया। इसी प्रकार रेस्पो0 संख्या 8 भीनमाल की रहने वाली है और उसकी तामिल, तामील कुनिन्दा पचपदरा में करवा रहा है और नोटिस पर नोटिस लेने से इंकार लिखकर गिरधारी एवं मानकराम नामक व्यक्ति को मौतबिर बताकर तामील करवाई गई। इसी प्रकार प्रफोर्मा संख्या 9 का पता पचपदरा लिखा है, पूर्ण पता नहीं लिखा है, उक्त नोटिस

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

के पीछे भाई से अंगुठा करना दिखा दिया, जबकि भाई का नाम तक नहीं लिखा। इसी प्रकार प्रफोर्मा पक्षकार संख्या 2 के नोटिस पर भी पचपदरा ही अंकित है, नोटिस पर नोटिस लेने से इंकार बताकर गिरधारी व नानकराम व्यक्ति के हस्ताक्षर बता दिये। वादी ने दावे में पता अलग लिखा है और नोटिस पर अलग पते लिखे है। इस प्रकार सभी के नोटिसेज की तामील की कार्यवाही मिलीभगत कर फर्जी करवाई गई है।

6. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी अभिकथन किया कि प्रार्थी / रेस्पो0 संख्या एक व दो ने अपीलान्ट को पक्षकार तक नहीं बनाया जबकि अपीलान्ट ख0सं0 234 / 129 में 05 बीघा भूमि के पंजीकृत खरीददार है। इसके अलावा जहाँ एक ही ख0सं0 की भूमि के कई खातेदार हों और एकल या संयुक्त रूप से काश्त करते हों तो जमीन की तरमीम करने से पूर्व सभी प्रभावित खातेदारों को सूचित करना तथा उनकी उपस्थिति में तरमीम की कार्यवाही करना कानूनी तौर पर आवश्यक है तथा यह भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि मौके पर खातेदार सामलाती काश्त करते है या अलग–अलग भाग में, तो उसी कब्जे के अनुसार तरमीम करनी चाहिये। अपीलान्ट के ख0सं0 234 / 129 वाली भूमि जो रेस्पो0 संख्या 2 की खातेदारी में है, उक्त जमीन के 5.00 बीघा भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा–काश्त होने के उपरान्त भी अपीलान्ट के हिस्से की भूमि की अलग तरमीम नहीं की गई। तहसीलदार के द्वारा भूमि की जो तरमीम की गई है, वह विधि अनुसार मान्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में की गई तरमीम को अपास्त कर तरमीम हेतु मामला पुनः रेस्पो0 संख्या 4 को भेजा गया है, उक्त आदेश विधि सम्मत व न्याय संगत नहीं होने से खारिज फरमाया जावें।

7. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय खसरा संख्या 129 में कुल 29 से अधिक खातेदार थे, इतने खातेदार होते हुए भी रेस्पो0 संख्या एक व दो ने अपनी मनमर्जी से तथा वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए केवल 13 खातेदारान को ही पक्षकार बनाया गया। उपरोक्त वर्णित खसरा संख्या 236 / 129, 240 / 129 तथा 243 / 129 को छोड़कर सभी खसरों की भूमि की तरमीम परिवर्तित हुयी है। इसी प्रकार उक्त प्रार्थना पत्र में खसरा संख्या 239 / 129 के खातेदार भंवरलाल की जगह राजूराम को गलत रूप से पक्षकार बनाया गया क्योंकि राजूराम का खसरा संख्या 239 / 129 की भूमि में नामा0, प्रार्थना पत्र दर्ज होने के दो–तीन माह पश्चात् यानि दिनांक 20.3.2021 को भरा गया था अर्थात भंवरलाल को काल्पनिक पक्षकार बनाकर उसकी तामील दिखा दी गई। उक्त प्रकरण में विप्रार्थी संख्या 7 सदाराम तथा विप्रार्थी संख्या 11 भूमि धारक तहसीलदार को विधिनुसार कोई नोटिस प्रेषित नहीं किया गया और बिना नोटिस प्रेषित किये ही विप्रार्थी संख्या 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई तथा विप्रार्थी संख्या 11 की उपस्थिति सुनिश्चित किये बिना ही, उपखंड अधिकारी, बालोतरा द्वारा अवैध रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

8. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी अभिकथन किया कि उक्त प्रकरण में विप्रार्थी संख्या 1, 2, 8 व 9 के अलावा किसी भी पक्षकार को नोटिस प्रेषित नहीं गया किया है, क्योंकि पत्रावली में विप्रार्थी संख्या 1,2,8 व 9 के अलावा किसी भी पक्षकार के नोटिस बाद तामील या अदम तामील पत्रावली में संलग्न नहीं है। उक्त प्रकरण में विप्रार्थी संख्या 3, 4, 5, 6 व 10 के नोटिस प्रेषित किये बिना सीधे ही उनके अधिवक्ता या स्वयं ऐसे उपस्थित हो जाते है, जैसे प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 3, 4, 5, 6 व 10 को पूर्व से ही उक्त प्रकरण की जानकारी हो, इससे स्पष्ट है कि पक्षकारान द्वारा मिलीभगती कर उक्त प्रकरण उपखंड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विप्रार्थी संख्या 7 सदाराम पुत्र गोबरराम खसरा संख्या 232/129 रकबा 40 बीघा तथा खसरा संख्या 234/129 रकबा 10 बीघा के खातेदार होने से उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाया गया था। प्रकरण के विचारण के दौरान विप्रार्थी सदाराम ने उक्त दोनों खेतों को घेवरचंद पुत्र सकाराम तथा छगनाराम पुत्र धोकलराम को आधा–आधा हिस्सा बेचान कर दिया, जिसके बाद विप्रार्थी सख्या 7 सदाराम के विरूद्ध दिनांक 24.12.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही होने के दिन ही नवीनतम खातेदार घेवरचंद उपखंड अधिकारी, बालोतरा के समक्ष उपस्थित होते है और उक्त आदेशिका पर हस्ताक्षर करते है, इसके बावजूद उक्त भूमि के मूल खातेदार के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

9. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी अभिकथन किया कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार संपूर्ण खसरा संख्या 129 का भूमिधारी है तथा खसरा संख्या 231/129 (52. 17 बीघा) के खातेदार भी है, के द्वारा भी उक्त प्रकरण में अपना जवाब व पक्ष नहीं रखा गया, ना ही उक्त आदेश की अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। अपने कथन के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 2002(2) एस.सी. आर. 352, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक सिविल मिसलेनियस अपील नंबर 1150/2019 आदेश दिनांक 22.07. 2019, एस.बी. रिवीजन पीटीशन नम्बर 358–2011 आदेश दिनांक 24.01.2012, एआईआर 1997 राज. 174 प्रस्तुत की, जिन में मुख्य रूप से यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जहां कोई व्यक्ति सम्मन लेने से इंकार करे, ऐसी दशा में आदेश 5 नियम 17 की पालना किया जाना आवश्यक है। पक्षकारान् को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए।

10. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी अभिकथन किया कि उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में न्यायिक मजिस्ट्रेट पचपदरा के द्वारा अति0 पुलिस अधीक्षक, बालोतरा के जरिये जॉच करवाई गई थी, जिसके आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट, पचपदरा द्वारा एफ. आईआर. दर्ज करने का आदेश दिया गया, जिस पर पुलिस थाना पचपदरा ने उक्त प्रकरण में एफ.आई.आर. संख्या 18/2023 दर्ज कर वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बालोतरा के द्वारा उक्त प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है। उक्त जॉच रिपोर्ट दिनांक

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

25.7.2022 को पेश की गई, उक्त जॉच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि जॉच रिपोर्ट में अधीनस्थ न्यायालय के राजस्व प्रकरण संख्या 189/2021 में पारित आदेश में उपरोक्त तमाम तथ्यों की पुष्टि करते हुए पन्नालाल वगैराह के द्वारा धारा 131 के तहत पेश प्रार्थनापत्र को मिथ्या व गलत माना है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.1.2022 को खारिज किया जावें एवं मामला अधीनस्थ न्यायालय को भेजकर अपीलान्ट को सुनकर विधि के अनुसार तरमीम करने का आदेश फरमाया जावें।

11. प्रत्युतर में रेस्पो. संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दौराने सुनवाई यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से धारा 131 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत दिनांक 20.11.2020 को एक प्रार्थना पत्र पेश करते हुए ग्राम सांभरा तहसील पचपदरा के खेत ख0सं0 238/129, 232/129, 237/129, 234/129, 241/129, 235/129, 236/129, 233/129, 242/129, 239/129, 304/129, 245/129 कुल 12 खसरा स्थित है। पूर्व में मूल ख0सं0 129 अवस्थित रहा था। उक्त प्रकरण में राजस्व रेकर्ड में गलत व अवैध रूप से मौके पर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त के विपरीत की गई तरमीम के सम्बन्ध में, बिना किसी सक्षम प्राधिकारी व बिना विधिक प्रकिया के प्रभावित पक्षकारान प्रार्थीगण/खातेदारो को सुनवाई का, सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना ही नक्शा लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम को दुरूस्त किया जावें तथा दर्ज तरमीम की प्रविष्ठियों को हटाकर प्रार्थीगण के मौके पर कब्जे के अनुसार तरमीम कायम करने हेतु आदेश दिया जावें।

12. रेस्पो. संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि मूल ख0सं0 129 में प्रार्थीगण के हक–हिस्से की भूमि में उनके द्वारा विवादित भूमि की सार–सम्भाल कर काश्त की जाती है, उनके द्वारा अपनी आवश्यकता हेतु पटवारी हल्का से दिनांक 13. 8.202 को नक्शे की प्रतिलिपी प्राप्त की गई तब प्रार्थीगण को जानकारी हुई कि प्रार्थीगण के खातेदारी के ख0सं0 237/129 में जिस पर पर प्रार्थीगण का कब्जा है, उसके विपरित जाकर लिपिकीय त्रुटि या सहवन से, बिना किसी प्राधिकारी के आदेश के ही अन्य जगह पर तरमीम कर दी गई, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। प्रार्थीगण को उक्त तथ्य की जानकारी होने पर उनके द्वारा विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 को तहसील कार्यालय चलकर उक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त करवाने हेतु निवेदन किया, किन्तु विप्रार्थीगण की नियत में खोट आ जाने से वे उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने से मुकर गये, जबकि विप्रार्थीगण को उक्त तथ्य की जानकारी पूर्व से रही है कि ख0सं0 237/129 के राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में दर्ज की गई तरमीम मौके पर स्थित प्रार्थीगण के कब्जे के विपरीत है, जो कि दुरूस्त होना विधि सम्मत है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

13. रेस्पो. संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा विप्रार्थीगण से बात की गई किन्तु उन्होंने रेकर्ड दुरूस्त करवाने से साफ इंकार कर दिया और धमकी दी कि प्रार्थीगण का कब्जा जिस जगह पर है, वहॉ से उन्हें वे बेदखल कर देंगे। नक्शे में दर्ज की गई तरमीम प्रार्थीगण के कब्जे के विपरीत है, उसका कोई युक्तियुक्त आधार भी नहीं है। ऐसे में प्रार्थीगण को प्रश्नगत खसरे में अपने कब्जे के अनुसार राजस्व नक्शे में दुरूस्ती करवाना आवश्यक हो गया था, जिस पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लट्ठा ट्रेस में कब्जे के अनुसार तरमीम दुरूस्ती हेतु आवेदन पेश किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए तहसीलदार, पचपदरा से मौका रिपोर्ट तलब की गईं। तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी पन्नाराम के ख0सं0 237/129 रकबा 30.00 बीघा का मौके पर कब्जा लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम के अनुसार नहीं होना बताया है तथा प्रार्थी के खसरे की तरमीम दुरूस्त करने पर मूल ख0सं0 129 के बटा नम्बर 236/129, 240/129, 243/129 को छोड कर, सभी की तरमीम प्रभावित होती हैं, अंकित किया जाकर जिसे परिशिष्ठ–ब के अनुसार दुरूस्त किया जाना प्रस्तावित किया गया था। तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त विप्रार्थीगण को अपना पक्ष रखे जाने तथा सुनवाई हेतु उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये थे जिनमें से कुछ विप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता पैरवी हेतु उपस्थित भी हुए। वर्तमान प्रफोर्मा पक्षकार रेस्पो0 संख्या 2 को भी नोटिस जारी हुआ परन्तु वे बावजूद तामीली के अनुपस्थित रहे, जिसके कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा की गई। प्रकरण में अधिकाश खातेदार के तरमीम दुरूस्ती हेतु सहमत होने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसीलदार की ओर से पेश मौका फर्द व परिशिष्ठ– बी के आधार पर लट्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त करने बाबत जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.1.2022 को पारित किया गया है, वो नियमानुसार उचित एवं विधि के अनुकूल होने से यथावत रखे जाने योग्य है।

14. रेस्पो. संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट के द्वारा जो यह अपील पेश की गई है, उन्हें यह अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि अपीलान्ट के द्वारा इस विचाराधीन अपील में दर्शाये गये ख0सं0 235/129 की रकबा 05.00 बीघा भूमि का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश होने की दिनांक को किसी प्रकार से रेकर्डेड खातेदार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त खसरे की भूमि तत्समय में प्रफार्मा रेस्पो0 संख्या 2 के नाम ही दर्ज थी, रेस्पो0 संख्या 2 के द्वारा ही अपीलान्ट को भूमि का बेचान किया गया था, परन्तु राजस्व रेकर्ड में नाम प्रफोर्मा पक्षकार रेस्पो0 संख्या 2 का ही दर्ज था, मात्र अपने पक्ष में निष्पादित बेचान दस्तावेज के आधार पर अपीलान्ट यह अपील पेश करने की अधिकारिता नहीं रखता है। ऐसे में अपीलान्ट की अपील इसी स्तर पर खारिज करने योग्य है क्योंकि अपीलान्ट अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.01.2022 में पक्षकार ही नहीं है। इस प्रकार अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार ही नहीं है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि सलीम से कय की है, रकबा 20.00 बीघा भूमि में से 05.00 बीघा भूमि कय की है तथा अपीलान्ट का उक्त बेचान का

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

नामा0 भी नहीं भरा गया है। यदि अपीलान्ट पीड़ित पक्षकार है तो वे भी इस अपील में पक्षकार बनते, धारा 96 सी0पी0सी0 के तहत आवेदन प्रस्तुत करके पक्षकार बनते, लेकिन अपीलान्ट के द्वारा अपील के साथ ऐसा कोई प्रार्थना पत्र पेश ही नहीं किया गया है, इसलिये विचाराधीन अपील में अपीलान्ट की कोई लोकस स्टेण्डाई ही नहीं है। ऐसी स्थिति में कानूनी रूप से उक्त अपील खारिज की जानी चाहिये। रेस्पोडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी कहा कि अपील मीमों के पैरा संख्या 05 में अपीलान्ट का यह एडमिटेड फैक्ट है कि उसके पक्ष में अभी नामा0 नहीं भरा गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश को विक्रेता सलीम चुनौती दे सकता था, अपीलान्ट नहीं क्योंकि अपीलान्ट राजस्व रिकार्ड के हिसाब से हितबद्ध पक्षकार ही नहीं है। प्रश्नगत भूमि में हम सभी आवंटी थे और मौके पर बैठे है, मौके पर हमारे कब्जे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में तरमीम हो गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.06.2021 को जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई, उस मौका रिपोर्ट को भी अपीलांट ने गलत नही बताया है। इस विषय में अपील मीमो के पैरा संख्या 05 का भी अवलोकन किया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो मौका रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें कोई अनियमितता या अवैधता नहीं है, जिसे दुरस्त किया जायें। अपीलांट की अपील में कोई मैरिट नहीं है तथा अपीलांट पीड़ित पक्षकार भी नही है। अतः अपीलाधीन आदेश के द्वारा पारित डिक्री को बदला नही जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने दौरान बहस यह भी कहा कि इस प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि अपीलांट को अपील पेश करते समय धारा 96 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए था, उन्हें प्रश्नगत अपील पेश करने की अनुमति पहले लेनी चाहिये थी, जो कि इस प्रकरण में नहीं ली गई है। अतः अपीलान्ट की इस प्रकरण में कोई लोकस स्टेण्डाई ही नहीं है एवं इसी बिन्दू पर अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है, अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जायें।

15. रेस्पो. संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने भी यह माना है कि वादग्रस्त भूमि के अधिकांश खातेदारों का कब्जा, नक्श लट्ठा में दर्ज तरमीम के अनुसार मौके पर नहीं है तथा अधिकांश खातेदार तहसीलदार की ओर से पेश परिशिष्ठ–बी को सही मानते हुए तरमीम दुरूस्ती हेतु सहमत हुए है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इसी आधार पर वाद की बाहुल्यता नही बढे और प्रकरण का विधि के अनुसार निस्तारण किये जाने की धारणा को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित तरमीम के अनुसार नक्शा लट्ठा में तरमीम दुरूस्त करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.1.2022 को पारित किया गया है, जो विधि के अनुकूल एवं उचित होने से यथावत रखा जावे तथा अपीलान्ट की अपील खारिज की जाये।

16. हमने विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन एवं मनन व किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से बगौर अवलोकन किया गया, जिससे यह पाया गया है कि अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के समक्ष धारा 131 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

दिनांक 20.11.2020 को एक प्रार्थना पत्र पेश करते हुए यह कथन किया गया कि कृषि भूमि ख0सं0 129 ग्राम सांभरा तहसील पचपदरा में स्थित है। उक्त खसरे की तरमीम की गई जिसके अनुसार ख0सं0 238 / 129, 232 / 129, 237 / 129, 234 / 129, 241 / 129, 235 / 129, 236 / 129, 233 / 129, 242 / 129, 239 / 129, 304 / 129, 245 / 129 कुल 12 भागों में बांट दिया गया। उक्त तरमीम के सम्बन्ध में प्रार्थी के द्वारा आपत्ति पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 4.1.2022 को स्वीकार करते हुए पूर्व में की गई तरमीम को दुरूस्त करने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के उक्त आदेश दिनांक 4.1.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.08.2022 को पेश की गई।

17. जैर अपील में अपीलाण्ट का मियाद संबंधी बिन्दु पर यह कथन रहा कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट को पक्षकार संस्थित नहीं किया गया था, ऐसे में अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.08.2022 की जानकारी उस समय नहीं हो पाई। दिनांक 18.7.2022 को जानकारी होने पर दिनांक 20.7.2022 को अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की गई। तत्पश्चात कानूनी राय ली जाकर अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में हुई देरी को कण्डोन किया जाता है प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

18. अपीलाण्ट द्वारा मुख्य तर्क यह प्रस्तुत किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा में अपीलान्ट को जानबूझ कर पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को यह जानकारी अवश्य थी कि उक्त भूमि के खातेदार प्रफोर्मा रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2 के तरमीम शुदा ख0सं0 235 / 129 रकबा 20.00 बीघा भूमि में से 5.00 बीघा भूमि, अपीलान्ट को एक वर्ष पूर्व ही जरिये रजिस्टर्ड सेलडीड के बेचान करते हुए कब्जा अपीलान्ट को सुपुर्द कर दिया गया था। रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 व 2 के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करवाने से पूर्व अपीलाण्ट को पक्षकार संयोजित कर सुना जाना आवश्यक था।

19. यहा हम विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट के दौराने बहस उल्लेखित किये गये तर्कों से पूर्णतया सहमत है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के प्रकरण संख्या 189 / 2021 आदेश दिनांक 04.01.2022 में अपीलाण्ट पक्षकार नही थे। अपीलाण्ट भुंडाराम द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.01.2022 के विरूद्ध प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 23.08.2022 को प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति दिये जाने का कोई प्रार्थना पत्र या अंतर्गत धारा 96 सी.पी.सी. के तहत कोई प्रार्थना पत्र पेश ही नही किया गया है। न्यायालय की अनुमति के बिना

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

जैर अपील को नही सुना जा सकता है। इस प्रकार अपीलाण्ट का अपील पर कोई Locus Standi नही है।

20. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के प्रकरण संख्या 189/2021 आदेश दिनांक 04.01.2022 को यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड वापस प्रेषित किया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल होकर बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर की जाये। निर्णय आज दिनांक 09 जुलाई 2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जोधपुर